राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः–एफ.1(2)(1) नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 1016 दिनांक : 27.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(नगरपालिका) (कलक्टर) राजस्थान।

विषयः– नगरीय निकायों के निर्वाचनों में अभ्यर्थियों द्वारा मतदान दिवस को मतदान बूथ स्थापित करने के संबंध में।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 5041 दिनांक 23.12.2025 की पैरा 6 के खण्ड–4 में यह उपबन्धित किया गया है कि किसी भी मतदान बूथ के 200 मीटर परिधी क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुये कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर या प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायेगी तथा उक्त पैरा के परन्तुक में यह उपबन्धित है कि मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है, जिसका आकार 2 X 5 फिट से अधिक नहीं होगा, लेकिन इस बैनर पर किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का चित्र / फोटो या चुनाव चिन्ह या नारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

उक्त अधिसूचना दिनांक 23.12.2025 के पैरा 6 खण्ड (iv) के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीन दिशा–निर्देशों की समरूपता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त खण्ड में वर्णित निर्देशों के स्थान पर निर्देशित किया जाता है कि–

"मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भवन के 100 मीटर की परिधी में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार–प्रसार नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों के निर्वाचन बूथ सादे हो। उन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, झण्डे, प्रतीक चिन्ह या प्रचार सामग्री प्रदर्शित ना की जाए। निर्वाचन बूथो में खाने – पीने की कोई वस्तु ना परोसी जाए और ना ही उनमें भीड़ एकत्रित हो।"

साथ ही मतदान केंद्र के भीतर या उसके आस–पास प्रचार पर प्रतिबंध के संबंध में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130 के अंतर्गत प्रावधान वर्णित है, जो निम्नानुसार है:

(1) कोई भी व्यक्ति, जिस दिन या जिन दिनों किसी मतदान केंद्र पर मतदान लिया जा रहा हो, उस मतदान केंद्र के भीतर या उससे 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर निम्नलिखित में से कोई भी कार्य नहीं करेगा, यथा

(क) मतों के लिए प्रचार करना; या
(ख) किसी मतदाता से उसका मत माँगना; या
(ग) किसी मतदाता को किसी विशेष अभ्यर्थी को मत न देने के लिए प्रेरित करना; या
(घ) किसी मतदाता को चुनाव में मतदान न करने के लिए प्रेरित करना; या
(ङ) चुनाव से संबंधित कोई सूचना या संकेत (आधिकारिक सूचना के अतिरिक्त) प्रदर्शित करना।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 130 की उपधारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति अधिकतम ढाई सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

(3) इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

अभ्यर्थियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले निर्वाचन बूथों हेतु निम्नांकित प्रतिबन्ध लागू रहेंगे :–

(1) कोई भी अभ्यर्थी मतदान के दिन मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार से 100 की दूरी के भीतर अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं करेगा। यहां तक कि जहां एक ही परिसर/स्थान पर एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हो, वहां भी किसी अभ्यर्थी का निर्वाचन बूथ किसी भी मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वारा से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा धार्मिक स्थल अथवा धार्मिक स्थलों के परिसर में निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं किए जाए।

(3) इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल के निकट निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं किए जाए।

(4) अभ्यर्थी के द्वारा अधिकतम एक मेज एवं दो कुर्सियाँ लगाई जा सकेंगी और ऐसे बूथ पर छाया के लिए 'छाता' अथवा मौसम की परिस्थिति के अनुरूप छोटा टेन्ट जिसका आकार '10ग10' फीट से अधिक नहीं हो, लगाया जा सकता है, लेकिन साईडों में 'कनात' या 'टेन्ट' लगाने की अनुमति नहीं होगी।

(5) **अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी/संबंधित अधिकारियों से निर्वाचन बूथ स्थापित करने के लिए लिखित रूप में बूथों के नाम और क्रमांक सूचित करते हुए अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है।**

(6) ऐसे निर्वाचन बूथ का उपयोग अभ्यर्थी द्वारा केवल मतदाता पहचान पर्ची का वितरण करने के लिए ही किया जायेगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर मतदाता का नाम, मतदाता सूची का क्रमांक, वार्ड सं. एवं मतदान केन्द्र का नाम ही अंकित हो सकेगा। अन्य किसी भी प्रकार का लेख उस पर अंकित नहीं होगा।

(7) ऐसे निर्वाचन बूथों पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जायेगी और ऐसे किसी व्यक्ति को वहाँ खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसने कि अपना मत दे दिया हो।

(8) ऐसे निर्वाचन बूथों पर किसी मतदाता को अपनी इच्छा से मत देने से रोकने के लिये उपयोग में नहीं लिया जायेगा और ना ही अन्य अभ्यर्थियों के बूथों से आने वाले मतदाताओं के आने जाने में बाधा पहुँचायी जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं करने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ को हटाया जायेगा एवं आयोग की उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों सहित अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। **शेष आदेश यथावत प्रभावी रहेगा।**

भवदीय

27/1/26

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः—एफ.1(2)(1) नपा—पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1017-1023 दिनांक : 27.01.2026
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (नगरपालिका) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
6. एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई—मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

27.01.2026

(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव

D:\NAGAPALIKA\00 NP\Adhisuchna\0 NP Main folder\NP FILES\0 F1(2)(1)NP-PANCHA S.O. SEC 14.doc